भारतीय तट रक्षक

(रक्षा मंत्रालय)

में शामिल हों नाविक (सामान्य ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा) और यांत्रिक 02/2022 बैच

आवेदन-पत्र 'ऑनलाइन' स्वीकार किए जाएंगे

04 जनवरी 2022 (1100 बजे) से 14 जनवरी 2022 (1700 बजे) तक

1. पात्रता शर्तें. भारतीय तट रक्षक, संघ का एक सशस्त्र बल, में नाविक (सामान्य ड्यूटी), नाविक (घरेलू शाखा) और यांत्रिक के पद की भर्ती के लिए नीचे निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और आयु रखने वाले पुरुष भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं.

2. शैक्षणिक अर्हता.

(a) नाविक (सामान्य ड्यूटी). काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन (सीओबीएसई) से मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से गणित और भौतिक के साथ 10+2 उत्तीर्ण.

(b) नाविक (घरेलू शाखा). काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन (सीओबीएसई) से मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं श्रेणी उत्तीर्ण.

(c) यांत्रिक. काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन (सीओबीएसई) से मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं श्रेणी उत्तीर्ण और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) से अनुमोदित 03 या 04 वर्ष की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा. **अथवा**

काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन (सीओबीएसई) से मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं श्रेणी उत्तीर्ण और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) से अनुमोदित 02 या 03 वर्ष की अवधि का इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा.

टिप्पणी:- यांत्रिक संवर्ग में भर्ती के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) इंजीनियरिंग शाखा में समकक्ष डिप्लोमा की सूची नीचे दी गई है:-

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)	इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर)इंजीनियरिंग (डिप्लोमा)
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स (पावर सिस्टम)	मरीन इंजी/मरीन इंजी एवं सिस्टम्स	उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजी.
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी.	मैकेनिकल इंजी.	इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजी.
इलेक्ट्रिकल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजी.	मैकेनिकल इंजी. (उत्पादन)	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजी.
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजी	मैकेनिकल इंजी. (ऑटोमोबाइल)	इलेक्ट्रॉनिक्स (फाइबर ऑप्टिक्स)
इलेक्ट्रिकल इंजी	मैकेनिकल इंजी. (रेफ्रिजेरेशन एवं एअर कंडीशनिंग)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजी
इलेक्ट्रिकल इंजी (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पावर)	मैकेनिकल इंजी. (मरम्मत एवं अनुरक्षण)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल इंजी
इलेक्ट्रिकल इंजी (औद्योगिक नियंत्रण)	उत्पादन इंजी.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन इंजी.
इलेक्ट्रिकल इंजी (इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल)	शिपबिल्डिंग इंजी.	
इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजी		

3. आयु. न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष निम्नानुसार है:

(a) नाविक (जीडी) और यांत्रिक. 01 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच जन्म हुआ हो (दोनों तिथियां शामिल).

(b) नाविक (डीबी). 01 अक्तूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच जन्म हुआ हो (दोनों तिथियां शामिल).

टिप्पणी:- ऊपरी आयु सीमा अजा/अजजा के लिए 5 वर्ष और अपिव (गैर संपन्न) के लिए शिथिलनीय है, यदि पद उनके लिए आरक्षित है.

4. रिक्ति. श्रेणीवार भर्ती के लिए पद की अनंतिम संख्या निम्नानुसार है:-

पद	अना (सामा.)	ईडब्ल्यूएस	अपिव	अजजा	अजा	कुल
नाविक (सामान्य ड्यूटी)	112	28	72	11	37	**260**
नाविक (घरेलू शाखा)	12	02	09	07	05	**35**
यांत्रिक (मैकेनिकल)	04	01	02	06	00	**13**
यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)	06	00	02	00	01	**09**
यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	03	00	01	00	01	**05**

टिप्पणी:-(a) ये रिक्तियां अनंतिम हैं और प्रशिक्षण स्लॉटों की उपलब्धता के अधीन परिवर्तित हो सकती हैं.

(b) सरलता के लिए विज्ञापन में यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन (रेडियो/पावर) को यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स) के तौर पर संदर्भित किया जाएगा.

(c) यदि अजा/अजजा/अपिव (गैर संपन्न वर्ग)/ईडब्ल्यूएस श्रेणी उम्मीदवारों के लिए कोई रिक्ति आरक्षित नहीं है, ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. यद्यपि वे आयु और उत्तीर्ण अंकों में रियायत/छूट के लिए पात्र नहीं होंगे. अजा/अजजा उम्मीदवारों को ऐसे मामले में आवेदन फीस के भुगतान से छूट है.

चयन प्रक्रिया

5. रंगरूटों का चयन चरण I, II, III और IV (पैरा 6 में विवरण में व्याख्या की गई है) में उनके कार्यनिष्पादन में अखिल भारतीय मैरिट क्रम और पद के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर आधारित है. भारतीय तट रक्षक में भर्ती के लिए चरण I, II, III और IV में सफलता और प्रशिक्षण में संतोषजनक कार्यनिष्पादन होना अनिवार्य है. सभी उम्मीदवारों को सीजीईपीटी के चरण I, II, और III की परीक्षा शुरू होने से पहले पहचान की जांच से अनिवार्यतः गुजरना होगा. पहचान की जांच में चयन प्रक्रिया के सभी चार चरणों में निम्नलिखित का सत्यापन/मिलान सम्मिलित होगा:-

(a) आवेदन-पत्र में उम्मीदवार का फोटोग्राफ और परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के फेसियल फीचर्स.

(b) बायोमीट्रिक-परीक्षा के चरण-I के दौरान केवल बाएं हाथ का बायोमीट्रिक कैप्चर किया जाएगा. बाद के चरणों के दौरान बायोमीट्रिक का चरण-I के बायोमीट्रिक के साथ मिलान होना चाहिए. यदि चरण-I के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे के निशान का बायोमीट्रिक कैप्चर नहीं किया जाता है तो दाएं हाथ के अंगूठे की बायोमीट्रिक कैप्चर की जाएगी और बाद के सत्यापन के लिए इस्तेमाल की जाएगी. बाएं और दाएं अंगूठे के अलावा, बायोमीट्रिक के लिए किसी अन्य उंगली पर विचार नहीं किया जाएगा. यदि उम्मीदवार बाएं अथवा दाएं हाथ के अंगूठे के साथ बायोमीट्रिक प्रतिष्ठापित करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

(c) हस्ताक्षर जैसा कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अपलोड किए गए हैं.

(d) पहचान के चिन्ह जैसा कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लेख किया गया है.

टिप्पणी:- किसी भी चरण में यहां तक कि फोटोग्राफ या बायोमीट्रिक या हस्ताक्षर या पहचान चिन्ह की एक की भी पहचान जांच में फेल होने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

6. सीजीईपीटी परीक्षा के विभिन्न चरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

(a) चरण-I-लिखित परीक्षा.

(i) उम्मीदवार को आवेदित पद के अनुरूप निम्नलिखित परीक्षाओं से गुजरना होगा:-

क्रम सं.	आवेदित पद	लिखित परीक्षा	उत्तीर्ण अंक	अभ्युक्तियां
(कक)	नाविक (डीबी)	खण्ड I	30 (अना/ईडब्ल्यूएस/अपिव) 27 (अजा/अजजा के लिए)	
(कख)	नाविक (जीडी)	खण्ड (I+II)	30+20=50 (अना/ईडब्ल्यूएस/अपिव) 27+17=44 (अजा/अजजा)	खण्ड I और II में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
(कग)	यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल)	खण्ड (I+III)	30+20=50 (अना/ईडब्ल्यूएस/अपिव) 27+17=44 (अजा/अजजा)	खण्ड I और III में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
(कघ)	यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स)	खण्ड (I+IV)	30+20=50 (अना/ईडब्ल्यूएस/अपिव) 27+17=44 (अजा/अजजा)	खण्ड I और IV में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है
(कङ)	यांत्रिक (मैकेनिकल)	खण्ड (I+V)	30+20=50 (अना/ईडब्ल्यूएस/अपिव) 27+17=44 (अजा/अजजा)	खण्ड I और V में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

(ii) लिखित परीक्षा के विभिन्न खण्डों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा का विवरण	प्रश्नों का विषय वार आवंटन	उत्तीर्ण अंक	पाठ्यक्रम
(कक)	खण्ड-I	अधिकतम अंक-60 समय-45 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या-60	गणित-20 विज्ञान-10 अंग्रेजी-15 रीजनिंग-10 सामान्य ज्ञान-5	30 (अना/ईडब्ल्यूएस/ अपिव श्रेणी) 27 (अजा/अजजा श्रेणी के लिए)	कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम
(कख)	खण्ड-II	अधिकतम अंक-60 समय-30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या-50	गणित-25 भौतिकी-25	20 (अना/ईडब्ल्यूएस/ अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी के लिए)	कक्षा 12वीं गणित और भौतिकी पाठ्यक्रम
(कग)	खण्ड-III	अधिकतम अंक-50 समय-30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या-50	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग-50	20 (अना/ईडब्ल्यूएस/ अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी के लिए)	डिप्लोमा स्तर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम
(कघ)	खण्ड-IV	अधिकतम अंक-50 समय-30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या-50	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग-50	20 (अना/ईडब्ल्यूएस/ अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी के लिए)	डिप्लोमा स्तर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम
(कङ)	खण्ड-V	अधिकतम अंक-50 समय-30 मिनट प्रश्नों की कुल संख्या-50	मैकेनिकल इंजीनियरिंग-50	20 (अना/ईडब्ल्यूएस/ अपिव श्रेणी) 17 (अजा/अजजा श्रेणी के लिए)	डिप्लोमा स्तर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

(शेष पृष्ठ 25 पर)

(पृष्ठ 24 का शेष)

टिप्पणी:-

(कक) खण्ड I, II, III, IV और V के लिए प्रश्नपत्र चार विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे. उम्मीदवार को विकल्प का चुनाव करना होगा. लिखित परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे. खण्ड I, II, III, IV और V के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम भारतीय तटरक्षक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

(कख) मैरिट में ब्रेकिंग नियम-चरण I में समान अंक रखने वाले दो या अधिक उम्मीदवारों के मामले में नीचे वर्णित कदमों में टाई ब्रेक की जाएगी (जहां कहीं टाई ब्रेक की जाती है, अगला चरण नहीं होगा):-

(ककक) खण्ड-I में अधिक अंक अर्जित करने वाला उम्मीदवार (केवल नाविक (जीडी) और यांत्रिक के लिए लागू तथा नाविक (डीबी) के लिए नहीं).

(ककख) आवेदित पद के अनुरूप अर्हक परीक्षा (यांत्रिक (डीबी) के लिए 10वीं श्रेणी, नाविक (जीडी) के लिए 12वीं श्रेणी और यांत्रिक के लिए डिप्लोमा) में अधिक कुल अंक प्रतिशतता अर्जित करने वाला उम्मीदवार. कुल प्रतिशतता की गणना के लिए शिक्षा द्वारा दर्ज और विचारित अनुसार और ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अनुसार कुल प्रतिशतता (राउंडिंग ऑफ के बिना 03 दशमलव स्थानों तक संगणित).

(ककग) आयु में बड़ा उम्मीदवार मैरिट में ऊपर होगा.

(ख) चरण-II कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर एक मैरिट सूची तैयार की जाएगी और उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप तथा भारतीय तट रक्षक द्वारा निर्णीत अनुपात के अनुरूप चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. यदि उम्मीदवार को चरण-II के लिए अल्पसूचीबद्ध किया जाता है तो उसे नीचे पैरा 7(ग)(iv) और पैरा 7 (ग)(v) में यथा वर्णित अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करना अपेक्षित होगा. चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र भारतीय तट रक्षक वेबसाइट में यथा वर्णित समयावधि के भीतर उम्मीदवार द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने तक सृजित नहीं किया जाएगा. चरण-II की अवधि 1 से 2 दिन होगी जिसमें निम्नलिखित परीक्षाएं शामिल होंगी जो कि अर्हक प्रकृति की होंगी अर्थात उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण:-

(i) शारीरिक फिटनेस टैस्ट (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण): पीएफटी से गुजरने वाले उम्मीदवार ऐसा अपने स्वयं के जोखिम पर करेंगे. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास स्पोर्ट रिग (शू, टी-शर्ट, ट्राउंजर आदि) रखें. पीएफटी में निम्नलिखित शामिल होगा:-

(कक) 1.6 कि.मी. दौड़ जिसे 7 मिनटों में पूरा करना होगा
(कख) 20 स्कवॉट अप्स (ऊठक बैठक)
(कग) 10 पुश अप

(पीएफटी के सभी तीन टैस्ट बिना व्यवधान के लगातार संचालित किए जाने हैं. तीन टैस्ट में कोई व्यवधान से पीएफटी में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे)

(ii) दस्तावेज जांच (अनंतिम उत्तीर्ण/फेल): ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई सभी सूचना का सभी मूल दस्तावेजों जैसे कि ग्रेड X/XII/ डिप्लोमा मार्कशीट/फोटो पहचान पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/व्यक्तिशः विषय और कुल अंकों के साथ मिलान होना चाहिए. ''नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, अंक प्रतिशतता, दस्तावेजों की वैधता, जाति प्रमाणपत्र विवरण आदि'' के संबंध में सभी दस्तावेजों और आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार की असंगति से दस्तावेज सत्यापन में असफलता होगी और उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. सभी दस्तावेजों के जारी होने की तिथि आवेदन की बंद होने की तिथि अथवा आवेदन की बंद होने की तिथि से पूर्व कोई अन्य तिथि होगी. **सभी अपलोडिड दस्तावेजों की वैधता कम से कम 31 अक्तूबर 22 तक होनी चाहिए. आवेदन प्रपत्र, अपलोड किए गए दस्तावेज (ऑनलाइन आवेदन चरण-I और II) तथा चरण-II में भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई भी बेमेल होने के मामले में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. ऑनलाइन आवेदन में कोई भी झूठी घोषणा से उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. दस्तावेज जांच के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों की जांच https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/assets/img/downloads/doc/reasonForRejection.pdf पर की जा सकती है.**

(iii) आरंभिक चिकित्सा जांच. (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) - चिकित्सा अधिकारी उम्मीदवारों को स्थाई अयोग्य अथवा अस्थाई तौर पर अयोग्य ठहरा सकते हैं. उम्मीदवार आरंभिक चिकित्सा जांच के निष्कर्षों पर अपील कर सकते हैं. अपील मेडिकल आरंभिक मेडिकल्स के पूरा होने के पश्चात ''स्थाई अयोग्यता के मामले में **21 दिनों के भीतर** अथवा अस्थाई अयोग्यता के मामले में **42 दिनों के भीतर** पूरी करनी होगी. अपील मेडिकल्स में अयोग्य/फेल घोषित होने पर आगे किसी संवीक्षा/अपील की अनुमति नहीं है. अपील मेडिकल के दौरान सैन्य अस्पताल में किसी विशेषज्ञ के अलावा कोई अन्य मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य नहीं है. आरंभिक मेडिकल की वैधता 6 माह तक है. यदि कोविड महामारी अथवा किसी अन्य स्थितियों में कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण यदि भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है तो उम्मीदवार के लिए अन्य आरंभिक चिकित्सा जांच से गुजरना अपेक्षित होगा.

(ग) चरण-III . चरण-I और चरण-II में प्रदर्शन के आधार पर, एक अखिल भारतीय मैरिट सूची तैयार की जाएगी और चरण-III (आईएनएस चिल्का में अंतिम मेडिकल्स) के लिए ई-प्रवेश पत्र भारतीय तट रक्षक द्वारा निर्णीत अनुपात और रिक्तियों की उपलब्धता के अनुरूप जारी किया जाएगा. चरण-III की अवधि 1 से 2 दिन होगी. चरण-III में निम्नलिखित शामिल होगा:-

(i) दस्तावेज सत्यापन (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण). ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उपलब्ध कराई सभी सूचना का सभी मूल दस्तावेजों जैसे कि ग्रेड **X/XII/** डिप्लोमा मार्कशीट/फोटो पहचान पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/व्यक्तिशः विषय और कुल अंकों के साथ मिलान होना चाहिए. ''नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, अंक प्रतिशतता, दस्तावेजों की वैधता, जाति प्रमाणपत्र विवरण आदि'' के संबंध में सभी दस्तावेजों और आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार की असंगति से दस्तावेज सत्यापन की विफलता होगी और उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. सभी दस्तावेजों के जारी होने की तिथि आवेदन की बंद होने की तिथि अथवा आवेदन की बंद होने की तिथि से पूर्व कोई अन्य तिथि होगी. **सभी अपलोडिड दस्तावेजों की वैधता कम से कम 31 अक्तूबर 22 तक होनी चाहिए. उम्मीदवार चरण-III में दस्तावेज सत्यापन में असफल हो सकता है भले ही वह चरण-II में दस्तावेज सत्यापन के दौरान उत्तीर्ण हो गया है. आवेदन प्रपत्र, अपलोड किए गए दस्तावेज (ऑनलाइन आवेदन चरण-I और II) तथा चरण-III में भौतिक सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई भी बेमेल होने के मामले में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. ऑनलाइन आवेदन में कोई भी झूठी घोषणा से उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. दस्तावेज जांच के दौरान अस्वीकृति के सामान्य कारणों की जांच https://joinindiancoastguard.cdac.in/cgept/assets/img/downloads/doc/reasonForRejection.pdf पर की जा सकती है.**

(iii) आईएनएस चिल्का में अंतिम मेडिकल्स {अंतिम मेडिकल के भाग के तौर पर रिव्यू मेडिकल्स (पास/फेल)}. सभी चयनित उम्मीदवारों की अंतिम चिकित्सा जांच आईएनएस चिल्का में की जाएगी. जो उम्मीदवार आईएनएस चिल्का में अंतिम चिकित्सा जांच में चिकित्सा की दृष्टि से फिट नहीं पाए जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण के लिए एनरॉल नहीं किया जाएगा. आईएनएस चिल्का में अंतिम एनरॉलमेंट चिकित्सा जांच के उपरांत चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों के लिए ''एक अपील'' की अनुमति है और उन्हें अधिकतम **12 दिनों की अवधि** अथवा आईएनएस चिल्का द्वारा यथा निर्णीत अवधि के भीतर तट रक्षक द्वारा यथा निर्णीत सैन्य अस्पताल में निष्कर्षों के विरुद्ध अपील करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं. उम्मीदवार अपील चिकित्सा जांच के लिए चयनित सैन्य अस्पताल तक और वापसी की यात्रा अपने स्वयं के खर्च पर करेंगे.

(a) मूल दस्तावेज, पुलिस सत्यापन और अन्य संबद्ध फार्मों की प्रस्तुति. सभी उम्मीदवारों को चरण-III के ई-प्रवेश पत्र के साथ मूल दस्तावेज, पुलिस सत्यापन फार्म और अन्य संबद्ध फार्म प्रस्तुत करने हैं. उम्मीदवार अधिवास के स्थान अथवा वर्तमान आवास के स्थान पर पुलिस सत्यापन की स्थिति में होने चाहिए. बिना पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अथवा विपरीत टिप्पणियों वाली रिपोर्ट के साथ उम्मीदवार एनरॉलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे. पुलिस सत्यापन फार्म का प्रारूप वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

(घ) चरण-IV- चरण-III में उत्तीर्ण उम्मीदवारों और जो कि उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप मैरिट में स्थान रखते हैं आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण के लिए अल्पसूचीबद्ध किया जाएगा. उम्मीदवारों को सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं और सभी मूल दस्तावेजों की जांच भारतीय तट रक्षक द्वारा संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकारों के जरिए संचालित की जाएगी. यदि दस्तावेज संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार द्वारा वास्तविक नहीं के तौर पर रिपोर्ट किए गए तो उम्मीदवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा.

टिप्पणी: उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के संबंध में चरण-II और चरण-III में अनंतिम रूप से उत्तीर्ण किया जाता है. संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों से दस्तावेज सत्यापन के उपरांत भारतीय तट रक्षक द्वारा सेवा में औपचारिक पुष्टि जब तक नहीं कर दी जाती उसकी उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी. उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण दस्तावेज सत्यापन में उत्तीर्ण अथवा असफल घोषित किया जा सकता है. दस्तावेज जांच चरण-IV तक की एक निरंतर प्रक्रिया है. अतः उम्मीदवार को किसी भी चरण में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है. उम्मीदवार के लिए उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण का अनंतिम दर्जा भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर उम्मीदवार के डैशबोर्ड के जरिए विभिन्न चरणों के उनके परिणाम में उपलब्ध होगा. आगे स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार को भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर एफएक्यू संख्या 48 और 49 का संदर्भ लेना होगा.

7. आवेदन कैसे करें.

(a) आवेदन-पत्र **'केवल ऑनलाइन' 04 जनवरी 2022 (1100 बजे) से 14 जनवरी 2022 (1800 बजे) तक** स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को **https://joinindiancoastguard.cdac.in** लॉगऑन करना होगा और ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ स्वयं को पंजीकृत करने के लिए अनुदेशों का पालन करें. उम्मीदवार को कम से कम **31 दिसंबर 2022** तक ई-मेल और मोबाइल नंबर की वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए. उम्मीदवारों को अपना पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर याद रखना होगा क्योंकि इसे आवेदन पत्र के साथ संबद्ध किया जाएगा. यदि उम्मीदवार अपना ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर भूल जाता है, तो वह उम्मीदवार के डैशबोर्ड में लॉगिन करने में सक्षम नहीं होगा और न ही ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने अथवा अपना परिणाम देखने में सक्षम होगा और भारतीय तट रक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. पंजीकृत ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर की रिट्रीविंग के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

(b) उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे **https://joinindiancoastguard.cdac.in/guidelines.html** पर यथा उल्लिखित आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करें. इन दिशा-निर्देशों का पालन करने में असफल रहने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

(c) उम्मीदवार को वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in/faq.html** पर दिए गए एफएक्यूज का पालन करना होगा.

(d) उम्मीदवार एक चक्र में केवल **एक पद अर्थात या तो नाविक (डीबी) अथवा नाविक (जीडी) अथवा यांत्रिक (मैकेनिकल) अथवा यांत्रिक (इलेक्ट्रिकल) अथवा यांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक्स)** के लिए आवेदन कर सकता है. यदि इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में एक से अधिक पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अनेक आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और परीक्षा फीस वापस नहीं की जाएगी. एक चयनित पद के लिए आवेदन-पत्र से भी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी और परीक्षा फीस वापस नहीं की जाएगी. पात्रता के लिए आगे ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी और यदि किसी भी तरह से अपात्र पाए जाते हैं तो किसी भी चरण में नामंजूर किया जा सकता है. आवेदन के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए उम्मीदवार **icgcell@cdac.in** पर ई-मेल के जरिए और टेलीफोन नं. 020-25503108/020-25503109 पर संपर्क कर सकते हैं.

(e) आवेदन-पत्र में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज. उम्मीदवारों के लिए दो चरणों में दस्तावेज अपलोड करना अपेक्षित होगा. कुछेक दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन चरण में और कुछ तब अपलोड करना अपेक्षित है यदि चरण-II के लिए अल्पसूचीबद्ध कर लिया जाता है. उम्मीदवारों को आवेदित पद के लिए यथा लागू मूल दस्तावेज (न तो फोटो प्रति और न ही स्वयं सत्यापित फोटो प्रति को स्कैन किया जाना है) स्कैन करने हैं तथा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करने हैं.

(i) ऑनलाइन आवेदन के दौरान सभी उम्मीदवारों द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज:- (aa) हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ (15 दिसंबर 2021 से पहले न लिया गया हो) (सिखों को छोड़कर, हैड गियर के बगैर हल्की पृष्ठभूमि में सामने का चित्र). फोटोग्राफ उम्मीदवार द्वारा अपने सीने के सामने काली स्लेट धारण किए हुए, जिसमें उसका नाम और फोटोग्राफ लिए जाने की तिथि का साफ अक्षरों में सफेद चॉक के साथ उल्लेख किया गया हो, के साथ लिया जाएगा. (ab) उम्मीदवार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर की इमेज. (ac) स्कैन की गई बाएं हाथ के अंगूठे के निशान की इमेज (ad) जन्मतिथि प्रमाणपत्र (10वीं श्रेणी अंक शीट अथवा जन्म तिथि अंग्रेज़ी या हिंदी में) (ae) फोटो पहचान सबूत (आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस) (af) 10वीं श्रेणी अंक शीट (ag) 10वीं श्रेणी प्रमाणपत्र (ah) ईडब्ल्यूएस/अजा/अजजा/अपिव (ग़ैर संपन्न) प्रमाणपत्र (यदि लागू है) (aj) यदि आवेदन करने वाला उम्मीदवार 18 वर्ष से कम आयु का है तो माता-पिता (पिता/माता) अथवा संरक्षक के स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (ak) उम्मीदवारों की हस्तलिखित घोषणा (al) सेवा प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि उम्मीदवार सेवारत केंद्रीय सरकार का कार्मिक अथवा सिविलियन भारतीय तट रक्षक बल कर्मी है.

टिप्पणी: यदि बोर्ड केवल 10वीं श्रेणी अंक शीट जारी कर रहा है और 10वीं श्रेणी प्रमाणपत्र नहीं करता है तो उम्मीदवार को 10वीं श्रेणी प्रमाणपत्र के लिए 10वीं श्रेणी अंक शीट अपलोड करनी होगी.

(ii) ऑनलाइन आवेदन के दौरान केवल नाविक (जीडी) उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज:- (aa) 12वीं श्रेणी अंक शीट.

(ab) 12वीं श्रेणी प्रमाणपत्र.

टिप्पणी: यदि बोर्ड केवल 12वीं श्रेणी अंक शीट जारी कर रहा है और 12वीं श्रेणी प्रमाणपत्र नहीं करता है तो उम्मीदवार को 12वीं श्रेणी प्रमाणपत्र के लिए 12वीं श्रेणी अंक शीट अपलोड करनी होगी.

(iii) ऑनलाइन आवेदन के दौरान केवल यांत्रिक (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स) उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेज:-

(aa) 12वीं श्रेणी अंक शीट (यदि पूर्ण है).

(ab) 12वीं श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि पूर्ण है).

(iv) यदि चरण II के लिए अल्पसूचीकरण हो जाता है तो अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज- यदि उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के चरण-II के लिए अल्पसूचीबद्ध कर लिया जाता है तो उसके लिए आवेदित पद के अनुरूप निम्नलिखित प्रमाणपत्र अपलोड करना अपेक्षित होगा:-

(aa) सभी उम्मीदवार:- (aaa) सीजीपीए/ग्रेड का प्रतिशतता में कन्वर्जन के लिए फार्मूला, कक्षा 10 के लिए, (यदि लागू है) **(aab)** यदि उम्मीदवार सेवारत है, सरकारी संगठन से अनापत्ति प्रमाणपत्र **(aac)** श्रेणी 10 के लिए अतिरिक्त अंक शीट (यदि लागू है).

(ab) नाविक (जीडी) उम्मीदवारों के लिए:- (aaa) सीजीपीए/ग्रेड का प्रतिशतता में कन्वर्जन के लिए फार्मूला, कक्षा 12 के लिए, (यदि लागू है)

(aab) कक्षा 12 के लिए अतिरिक्त अंक शीट (यदि लागू है).

(ac) यांत्रिक उम्मीदवार:-

(aaa) सीजीपीए/ग्रेड का प्रतिशतता में कन्वर्जन के लिए फार्मूला, कक्षा 12 के लिए, (यदि लागू है).

(aab) कक्षा 12 के लिए अतिरिक्त अंक शीट (यदि लागू है).

(aac) डिप्लोमा के सभी वर्षों/सेमेस्टरों की अंक शीट.

(शेष पृष्ठ 26 पर)

(पृष्ठ 25 का शेष)

(aad) डिप्लोमा के लिए सीजीपीए/ग्रेड का प्रतिशत में कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला.

(aae) डिप्लोमा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र.

(v) उम्मीदवारों द्वारा यदि चरण-II के लिए अल्पसूचीबद्ध किया जाता है, अपलोड किए जाने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची:- (aa) चयनित गेम के संबंध में दक्षता/उपलब्धि के अनुरूप खेल प्रमाणपत्र.

(ab) मृतक तट रक्षक कार्मिक का मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि उम्मीदवार केंद्रीय सरकारी कार्मिक का वार्ड है) जिसकी मृत्यु का कारण निश्चित करने योग्य नहीं है, यदि लागू है.

(ac) मृतक तट रक्षक कार्मिक का मृत्यु प्रमाणपत्र (यदि उम्मीदवार केंद्रीय सरकार के कार्मिक का बच्चा है) जिसकी मृत्यु का कारण निश्चित करने योग्य है, यदि लागू है.

(ad) एनसीसी प्रमाणपत्र (**'A'/ 'B'/ 'C'**), यदि लागू है.

टिप्पणी- (aaa) अजा/अजजा/अपिव (ग़ैर संपन्न)/ईडब्ल्यूएस आवेदकों के मामले में, जो कि अपने संबंधित कोटे का लाभ ले रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन का या तो वर्तमान अथवा स्थाई पता वही होना चाहिए जो पता जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र (अजा, अजजा और अपिव (गैर संपन्न) में वर्णित है. ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र **भारत सरकार के फार्मेट के अनुरूप होगा (कोई अन्य फार्मेट पर विचार नहीं किया जाएगा)**. (फार्मेट भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर उपलब्ध है). इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों का अपिव (गैर संपन्न वर्ग) प्रमाणपत्र भारत सरकार के अधीन पद के लिए नियुक्ति के लिए फार्मेट के अनुरूप होना चाहिए और बाद में ऑनलाइन सत्यापन के लिए क्यूआर/बार कोड उल्लिखित होना चाहिए. अपिव (गैर संपन्न) प्रमाणपत्र भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर उपलब्ध है. **(किसी अन्य फार्मेट पर विचार नहीं किया जाएगा)**. किसी अन्य फार्मेट से उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

(aab) अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेजों का आकार 10 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए.

(aac) सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों (अजा/अजजा/अपिव (ग़ैर संपन्न)/ईडब्ल्यूएस/अंक शीटें/शिक्षा प्रमाणपत्र) की जारी होने की तिथि दस्तावेज सत्यापन के दौरान **14 जनवरी 2022** अथवा **14 जनवरी 2022** से पहले की कोई तिथि होनी चाहिए और सभी दस्तावेजों की वैधता कम से कम **31 दिसंबर 2022** तक होनी चाहिए.

(aad) अपलोड किए गए सभी दस्तावेज हिंदी अथवा अंग्रेजी में अवश्य होने चाहिए. यदि दस्तावेज अंग्रेजी अथवा हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं तो दस्तावेज मूल रूप में तथा अंग्रेज़ी अनुवाद अपलोड करना चाहिए.

(aae) ऑनलाइन आवेदन में दस्तावेज अपलोड न होने/गलत अपलोड करने/परस्पर बदलकर अपलोड करने से उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

(aaf) चरण-II से पहले अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड न करने/गलत अपलोड करने/परस्पर बदलकर अपलोड करने से भी चरण-II, चरण-III और चरण-IV के दौरान दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

(f) परीक्षा शुल्क. उम्मीदवारों के लिए (अजा/अजजा उम्मीदवारों को छोड़कर, जिन्हें फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है) नेट बैंकिंग या वीसा/मास्टर/मास्त्रो/रूपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन पद्धति से 250 रु. (केवल दो सौ पचास रुपए) की फीस का भुगतान करना अपेक्षित है. केवल उन उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे जिन्होंने परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान किया है और जो परीक्षा शुल्क की माफी के लिए पात्र हैं.

टिप्पणी:-

(i) फीस का एक बार भुगतान कर दिए जाने पर किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही फीस को किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है.

(ii) अजा/अजजा श्रेणी से उम्मीदवार परीक्षा शुल्क माफ किए जाने के हकदार हैं. यदि यह पाया जाता है कि परीक्षा शुल्क की माफी/यथा लागू अन्य रियायतों के दावे के लिए झूठा अजा/अजजा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है तो भर्ती/प्रशिक्षण के किसी भी चरण में उम्मीदवारों को डिस्चार्ज/अस्वीकार किया जा सकता है.

(iii) यदि उम्मीदवार ने फीस का ऑनलाइन भुगतान किया है और उसके खाते से धनराशि कट गई है (अर्थात असफल भुगतान), कृपया जांच कर लें कि क्या फीस स्वतः ही ट्रांजेक्शन संचालित मूल खाते में स्वतः रिफंड हो गई है अथवा अपने खाते में स्वतः रिफंड के लिए 15 कार्य दिवसों के लिए इंतज़ार करें और संचालित मूल खाते में ट्रांजेक्शन स्थिति की जांच करें.

(iv) यदि एकल आवेदन के तहत उम्मीदवार से मल्टीपल भुगतान प्राप्त होता है, तो इसे पंजीकरण बंद होने और सभी भुगतान रिकॉर्ड के पुनर्मिलान के बाद संचालित मूल खाते में रिफंड कर दिया जाएगा.

(g) परीक्षा शहर- उम्मीदवार को चरण-I और चरण-II प्रक्रिया के लिए आवेदन-पत्र में परीक्षा शहर के लिए पांच प्राथमिकताएं देनी होंगी. उम्मीदवार को पहला विकल्प उनके वर्तमान पते के स्थान से 30 कि.मी. के भीतर होना चाहिए जहां से उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होगा. यदि वर्तमान पते से 30 कि.मी. के भीतर कोई ''परीक्षा शहर'' नहीं है तो वर्तमान पता के निकटतम ''परीक्षा शहर'' उम्मीदवार का पहला विकल्प होगा.

टिप्पणी: यदि उम्मीदवार ऊपर बताए अनुसार केंद्र के पहले विकल्प का पालन नहीं करता है तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि विवादित पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

(h) भारतीय तट रक्षक के पास चरण-I (लिखित परीक्षा), चरण-II (पीएफटी/मेडिकल) के लिए परीक्षा शहर आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है जो कि उम्मीदवार की पसंद अथवा नापसंद के अनुरूप हो सकता है.

2. परीक्षा के लिए संभावित अनुसूची और ई-प्रवेश-पत्र डाउनलोड करना. परीक्षा के लिए संभावित तिथियां निम्नानुसार हैं:-

संवर्ग	परीक्षा के लिए संभावित तिथियां		
	चरण-I	चरण-II	चरण-III और IV
नाविक (जीडी)	मार्च 2022 के मध्य/अंत में	मई 2022 के मध्य/अंत में	अगस्त 2022 के शुरू में
नाविक (डीबी)	मार्च 2022 के मध्य/अंत में	मई 2022 के मध्य/अंत में	अक्तूबर 2022 के शुरू में
यांत्रिक	मार्च 2022 के मध्य/अंत में	मई 2022 के मध्य/अंत में	अगस्त 2022 के शुरू में

टिप्पणी-भारतीय तट रक्षक वेबसाइट उस तिथि की घोषणा करेगी जब चरण-I, II और III के लिए डाउनलोड करने के लिए ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होंगे. उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वेबसाइट नियमित रूप से देखें और विभिन्न चरणों के लिए ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉगइन करें. उम्मीदवारों को ''डाउनलोड करने के लिए कब ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होगा'' के संबंध में कोई ई-मेल नहीं भेजा जाएगा. परीक्षा शहर उम्मीदवार के लॉगइन में चरण-I से कम से कम 10 दिन पहले प्रदर्शित किया जाएगा. उम्मीदवार के लॉगइन में वास्तविक परीक्षा केंद्र पते के साथ ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होगा तथा परीक्षा से केवल 02-03 दिन पहले ई-मेल पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा. ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असफलता और विभिन्न भर्ती चरणों के लिए रिपोर्ट नहीं करने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. **यदि उम्मीदवार चरण-I, II और III के लिए ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के संबंध में वेबसाइट पर महत्वपूर्ण भर्ती सूचना की नियमित जांच करने में असफल रहता है तो भारतीय तट रक्षक जिम्मेदार नहीं होगा.**

9. परिणाम की घोषणा: चरण-I से चरण-III तक चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का परिणाम भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर उम्मीदवार के अकाउंट के लॉग इन से प्राप्त किया जा सकता है. चरण-I की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम संभावित रूप से **30 दिनों के भीतर** घोषित कर दिया जाएगा.

10. प्रत्येक चरण में अपेक्षित दस्तावेजों की सूची.

चूंकि परीक्षा परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं है, परीक्षा के किसी भी चरण में डिजिलॉकर में दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सीजीईपीटी परीक्षा के सभी चरणों में अपने मूल दस्तावेज लेकर आना होगा. परीक्षा के विभिन्न चरणों में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

चरण I - (क) ई-प्रवेश पत्र (चरण-I) का रंगीन प्रिंट आउट (ख) आवेदन-पत्र में यथा वर्णित फोटो आईडी कार्ड (ग) कक्षा 10वीं की मूल अंकशीट (घ) 2 रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ जैसा कि आवेदन पत्र में अपलोड किए गए हैं. (ङ) अजा/अजजा उम्मीदवारों को मूल जाति प्रमाणपत्र और अजा/अजजा प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित 02 फोटो प्रति, मूल ट्रेन/बस टिकट, एनईएफटी भुगतान के लिए निरस्त चैक और यात्रा भत्ते के दावे के लिए वेबसाइट से डाउनलोड किया गया यात्रा फार्म लेकर आना है.

चरण II - (क) ''ऑनलाइन आवेदन पत्र, चरण- I और II ई- प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंटआउट'' (ख) आवेदन पत्र में यथा वर्णित फोटो पहचान पत्र (ग) आवेदन प्रपत्र में यथा प्रस्तुत मूल दस्तावेज और चरण II के लिए लघुसूचीबद्ध होने के उपरांत उम्मीदवार लॉगिन (घ) विधिवत स्वयं सत्यापित सभी मूल दस्तावेजों की 03 फोटो प्रतियां (ङ) आवेदन पत्र में यथा प्रस्तुत 20 नग पासपोर्ट आकार रंगीन फोटोग्राफ (च) वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में सेवारत उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता से मूल अनापत्ति प्रमाणपत्र और 4 स्वयं सत्यापित फोटो प्रति (यदि लागू है).

चरण III - (क) ''ऑनलाइन आवेदन पत्र, चरण- III ई-प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंटआउट'' (ख) आवेदन प्रपत्र में यथा प्रस्तुत मूल दस्तावेज और चरण II के लिए लघुसूचीबद्ध होने के उपरांत उम्मीदवार लॉगिन (ग) विधिवत स्वयं सत्यापित सभी मूल दस्तावेजों की 03 फोटो प्रतियां (घ) आवेदन पत्र में यथा प्रस्तुत 30 नग पासपोर्ट आकार रंगीन फोटोग्राफ (ङ) नीली पृष्ठभूमि के साथ 3.5 सें.मी. × 2.5 सें.मी. विशिष्टता का रंगीन फोटोग्राफ - (10 नग) (च) माता-पिता का सहमति प्रमाणपत्र-(एक मूल प्रति और 02 जेरॉक्स प्रतियां)(छ) पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र-(एक प्रति मूल और 02 जेरॉक्स प्रतियां) (ज) परिवार विवरण प्रमाणपत्र - (एक प्रति मूल और 02 जेरॉक्स प्रतियां) (झ) चरित्र प्रमाणपत्र-(एक प्रति मूल और 02 जेरॉक्स प्रतियां) (ट) सहमति प्रमाणपत्र-(एक प्रति मूल और 02 जेरॉक्स प्रतियां) (ठ) सत्यापन फार्म (संवर्ग नाम के साथ) - (03 प्रतियां मूल) (ड) आधार कार्ड- (एक मूल प्रति और 07 जेरॉक्स प्रतियां) (ढ) पैन कार्ड- (एक प्रति मूल और 07 जेरॉक्स प्रतियां). (ण) वर्तमान में किसी सरकारी संगठन में सेवारत उम्मीदवारों के लिए नियोक्ता से मूल अनापत्ति प्रमाणपत्र और 4 स्वयं सत्यापित फोटो प्रति (यदि लागू है). (त) आवेदन-पत्र में यथा वर्णित फोटो पहचान-पत्र.

टिप्पणी- (i) चरण-III के क्रम सं. (f) से क्रम सं. (l) तक के प्रपत्र भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

(ii) चरण I, II और III के दौरान (क्रम सं. (d) चरण-I और क्रम सं. (m) और (n) चरण-III को छोड़कर) उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने से उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. अजा/अजजा/अपिव (ग़ैर संपन्न)/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र , यदि लागू है, उपलब्ध कराना होगा.

(iii) सभी फोटो प्रतियां हस्ताक्षर से स्वयं सत्यापित होनी चाहिए. फोटोप्रतियों में भी उम्मीदवार का नाम और अनुक्रमांक होना चाहिए.

11. चिकित्सा मानदंड.

a. चिकित्सा जांच एंट्री पर एनरॉल किये गये कार्मिक के लिये वर्तमान लागू विनियमों में निर्धारित चिकित्सा मानदंड के अनुसार अधिकृत सैन्य चिकित्सकों द्वारा संचालित किया जायेगा.

b. कद. न्यूनतम कद 157 सें.मी. असम, नगालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधिवासी उम्मीदवारों के लिए कद संबंधी मानदंडों में 157 सें.मी. से नीचे 05 सें.मी. तक की कमी की जा सकती है. लक्षद्वीप के अधिवासी उम्मीदवारों के लिए कद संबंधी मानदंडों को 02 सें.मी. तक घटाया जा सकता है.

c. सीना. समानुपातिक होना चाहिये. न्यूनतम विस्तार 5 सें.मी.

d. भार कद और आयु के समानुपातिक. 10 प्रतिशत ± स्वीकार्य होगा.

e. हियरिंग सामान्य.

टिप्पणी: (i) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चिकित्सा जांच से पहले अपने कानों से मैल निकलवा लें और दांतों से टार्टर हटवा लें.

(ii) कद में छूट का दावा कर रहे उम्मीदवारों को चिकित्सा अधिकारी को अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है. अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कद में छूट का लाभ नहीं मिलेगा.

f. टैटू: शरीर के किसी भी हिस्से में स्थाई शरीर टैटू की अनुमति नहीं है. लेकिन भारत सरकार द्वारा यथा घोषित जनजातीय क्षेत्रों के समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के लिये कुछेक रियायतों की अनुमति है. अन्य उम्मीदवारों के लिये स्थाई शरीर टैटू केवल ईनर फेस अथवा फोर आर्म्स पर अनुमति है अर्थात कुहनी से अंदर से कलाई के अंत तक हथेली के उलटी तरफ/हाथ के पीछे की तरफ (डोर्सल) तक. इस संबंध में विवरण भारतीय तट रक्षक भर्ती वेबसाइटः **https://joinindiancoastguard.cdac.in** पर उपलब्ध है.

टिप्पणी: केवल उपर्युक्त चिकित्सा मानदंड पूरा करने वाले उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होना है. उपर्युक्त मानदंडों में कोई माफी नहीं दी जाएगी. नाविक (जीडी/डीबी) और यांत्रिक के चिकित्सा मानदंड पर तट रक्षक का आदेश अंतिम प्राधिकार होगा. भारतीय तट रक्षक में समान एंट्री के लिए पूर्व की भर्ती में किसी सशस्त्र सेना अस्पतालों द्वारा स्थाई तौर पर मेडिकली अनफिट घोषित आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन न करें.

12. प्रशिक्षण. बुनियादी प्रशिक्षण **नाविक (सामान्य ड्यूटी) और यांत्रिक के लिए अगस्त, 2022** में तथा **नाविक (घरेलू शाखा)** के लिए **अक्तूबर 2022** में आईएनएस चिल्का में आरंभ होगा, इसके बाद समुद्री प्रशिक्षण और आबंटित ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा. शाखा/ट्रेड का आबंटन सेवा की आवश्यकता और बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जायेगा. प्रशिक्षण के दौरान नाविकों (जीडी/डीबी)/यांत्रिकों को किसी भी समय यदि उनकी प्रगति (अकादमिक सहित) अथवा आचरण असंतोषजनक पाया जाता है तो अनुपयुक्त के तौर पर डिस्चार्ज़ किया जा सकता है. प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण के किसी भी चरण में डिस्चार्ज किया जा सकता है यदि उनके ऑनलाइन आवेदन अथवा दस्तावेजों में भर्ती के किसी भी चरण में झूठी बातें पाई जाती हैं.

13. सामान्य अनुदेश. (उम्मीदवार द्वारा पालन किया जाना है अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी).

a. किसी अन्य सेना प्रशिक्षण स्थापनाओं से अनुशासन आधार पर लौटाए गए उम्मीदवार उपस्थित होने के पात्र नहीं हैं.

b. उम्मीदवार की गिरफ्तारी, दोषसिद्धि नहीं हुई होनी चाहिए अथवा किसी कानूनी अदालत में आपराधिक आरोप लंबित न हों. आपराधिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने से प्रतिबंधित हैं.

c. चरण II के समय प्रस्तुत किए गए सभी मूल प्रमाणपत्र और अंक शीटें सत्यापन के उपरांत उम्मीदवारों को लौटा दी जाएंगी. चरण III के समय प्रस्तुत सभी मूल प्रमाणपत्र और अंक शीटें यदि चरण III उत्तीर्ण हो जाता है तो भारतीय तट रक्षक द्वारा रख लिए जाएंगे अथवा यदि असफल घोषित होते हैं तो सत्यापन के उपरांत उम्मीदवारों को लौटा दिए जाएंगे.

d. उम्मीदवार का एक ख़ास बैच से संबंधित चयन केवल उसी बैच के लिये वैध है. अर्हक उम्मीदवार जिनके नाम अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं होते हैं वे अगले बैच में प्रवेश के लिये दावा नहीं कर सकते हैं. इन उम्मीदवारों को नये सिरे से चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा बशर्ते कि वे यथा निर्धारित नियमों और विनियम के अनुसार नये बैच के लिये पात्रता मानदंड को पूरा करते हों.

e. डाक से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

f. चरण III के लिए ई-प्रवेश पत्र केवल उन उम्मीदवारों को अग्रेषित किए जाएंगे जो चरण II में आरंभिक मेडिकल में

(शेष पृष्ठ 27 पर)

(पृष्ठ 26 का शेष)

उत्तीर्ण होंगे तथा रिक्तियों के अनुरूप मैरिट में बने रहेंगे. ऐसे उम्मीदवारों के लिए आईएनएस चिल्का में अपने स्वयं के खर्च पर पहुंचना अपेक्षित होगा. असफल उम्मीदवारों को अलग से सूचित नहीं किया जाएगा.

g. इस बैच के लिए 31 दिसंबर 2022 के बाद भर्ती/एनरॉलमेंट के संबंध में किसी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा.

h. परीक्षाओं की प्रक्रियाओं के दौरान नकल करने/कदाचार सहित अनुशासन विरुद्ध गतिविधियां भी अयोग्यता होंगी. नकल करने/गलत व्यवहार के संबंध में भारतीय तट रक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

i. एनरॉलमेंट से पहले मूल आवेदन और मूल दस्तावेजों की पात्रता के लिए आगे जांच की जाएगी और यदि भर्ती के किसी भी चरण में और यहां तक कि सेवा में शामिल होने के उपरांत भी पात्र नहीं पाए जाने पर अस्वीकार किया जा सकता है.

j. ''मुक्त विद्यालय'' संस्थानों, जो कि अभातशिप/सीओबीएसई से मान्यताप्राप्त नहीं हैं, से उम्मीदवार पात्र नहीं हैं.

k. परीक्षा केंद्र उम्मीदवार को आवेदन में दी गई उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप और जिसने सफल भुगतान करके (अजा/अजजा उम्मीदवारों को छोड़कर, जिन्हें फीस के भुगतान से छूट है) सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया है, आबंटित किया जाएगा. यदि एक परीक्षा शहर के लिए अधिक संख्या में उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं, तट रक्षक के पास कोई अन्य परीक्षा शहर आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित है जो कि उम्मीदवार की प्राथमिकता सूची में शामिल अथवा शामिल नहीं हो सकता है.

l. तट रक्षक के पास एक केंद्र की परीक्षा निरस्त करने और परीक्षा को किसी अन्य तिथि तथा केंद्र के लिए शिफ्ट करने का अधिकार सुरक्षित है.

m. तट रक्षक के पास बगैर कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में इस बैच की संपूर्ण भर्ती को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है.

n. परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है. तट रक्षक ऐसी चीजें रखने को अनुचित तरीके अपनाए गए मानता है. यदि कोई उम्मीदवार चरण I, II और III के दौरान मोबाइल, ब्लूटूथ, स्कैनिंग के किसी अन्य प्रकार का उपकरण आदि के साथ पकड़ा जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और तत्काल एफआईआर दायर करने सहित कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

o. तट रक्षक किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के सुरक्षित रखने की गारंटी नहीं दे सकता. उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा शुरू होने के बाद शौचालय जाने/किसी भी कारण से हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

p. परीक्षा स्थल में प्रवेश करने से पहले सभी उम्मीदवारों की जांच की जाएगी.

q. सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चौकन्ने रहें तथा किसी भी उम्मीदवार की कोई संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही तत्काल पर्यवेक्षक की जानकारी में ले आएं.

r. उम्मीदवारों के पास सफल ऑनलाइन पंजीकरण के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. होना चाहिए. भारतीय तट रक्षक द्वारा उम्मीदवार के साथ पत्राचार केवल ई-मेल, मोबाइल पर एसएमएस और भारतीय तट रक्षक वेबसाइट के जरिए किया जाएगा. उम्मीदवारों को निदेशित किया जाता है कि भर्ती कार्यक्रम में किसी भी बदलाव के लिए नियमित रूप से भारतीय तट रक्षक की वेबसाइट और ई-मेल की जांच करें. ई-मेल और भारतीय तट रक्षक वेबसाइट की नियमित जांच करने में असफल रहने पर उम्मीदवार के विभिन्न भर्ती चरणों में रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति बन सकती है और उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी. **ई-मेल और भारतीय तट रक्षक भर्ती वेबसाइट पर यथा प्रकाशित अद्यतन जानकारी का कोई प्रत्युत्तर नहीं होने से उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी. यदि उम्मीदवार ई-मेल और वेबसाइट के जरिए महत्वपूर्ण भर्ती जानकारी की नियमित जांच करने में असफल रहता है तो भारतीय तट रक्षक जिम्मेदार नहीं होगा.**

s. उम्मीदवारों को पूरी सावधानी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहिए क्योंकि प्रस्तुति के उपरांत आवेदन में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है. ऑनलाइन आवेदन में कोई भी झूठी सूचना दिए जाने से उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी. परीक्षा के विभिन्न चरणों में ऑनलाइन आवेदन में झूठी सूचना की उनकी गलती स्वीकार करने के बारे में उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित शपथ पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

t. उम्मीदवारों को निदेशित किया जाता है कि पूरी सावधानी के साथ जाति का यथा लागू विवरण (अजा/अजजा/अपिव (ग़ैर संपन्न)/ईडब्ल्यूएस) भरें क्योंकि आवेदन प्रस्तुति के बाद किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है. पूर्व में आवेदन पत्र में गलत जाति घोषित करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने तट रक्षक से लिखित परीक्षा में सामान्य उम्मीदवार के तौर पर उपस्थित होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा झूठी घोषणा किए जाने के आधार पर इसकी अनुमति नहीं दी जाती है और इससे भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण तथा सेवा में शामिल होने के बाद भी उम्मीदवार को निरस्त किया जा सकता है.

u. उम्मीदवारों को पूरी दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रस्तुति के लिए अंतिम तिथि के लिए इंतज़ार किए बिना समय रहते आवेदन करें.

v. चरण- I, II और III के लिए ई-प्रवेश पत्र में यथा उल्लिखित तिथि और समय पर रिपोर्ट करने में असफल रहने से उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी.

w. भारतीय तट रक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान छद्मरूपण को बहुत गंभीरता से लेता है. आवेदक और प्रॉक्सी उम्मीदवार दोनों के विरुद्ध एफआईआर/आपराधिक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी.

(y) किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा परिसरों में किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए अथवा कोई विकृत दृश्य उत्पन्न नहीं करना चाहिए. **किसी भी प्रकार से कदाचार करने वाले उम्मीदवार को भारतीय तट रक्षक की वर्तमान और भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.** उम्मीदवार की पात्रता अथवा ऑनलाइन परीक्षा (चरण-I), पीएफटी/पुनः मूल्यांकन परीक्षा/आरंभिक मेडिकल (चरण-II), आईएनएस चिल्का में अंतिम मेडिकल (चरण-III), मूल दस्तावेजों का सत्यापन (चरण-IV) में उम्मीदवार के प्रवेश को लेकर भारतीय तट रक्षक का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार के लिए बाध्यकारी होगा. **उम्मीदवार, जिनकी उम्मीदवारी गलत तरीके अपनाने/कदाचार के कारण सीजीईपीटी 01/2022 में और पूर्व के बैचों में निरस्त कर दी गई थी, वे आवेदन करने के लिए अपात्र हैं.**

(z) भारतीय तट रक्षक उम्मीदवार के अंतिम तिथि के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ रहने अथवा भारतीय तट रक्षक के नियंत्रण से बाहर के किसी अन्य कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर पाने की जिम्मेदारी नहीं लेता है.

(aa) उम्मीदवारों को नोट कर लेना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन पत्र में प्रदान की गई सूचना के आधार पर पूर्णतः अनंतिम होगा. यह भारतीय तटरक्षक द्वारा सभी पात्रता शर्तों के सत्यापन के विषयाधीन होगा. मात्र इस तथ्य के कि उम्मीदवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को भारतीय तट रक्षक द्वारा अंतिम रूप से मान लिया है अथवा उम्मीदवार द्वारा उसके आवेदन में की गई प्रविष्टियों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय तट रक्षक ने सही और सत्य के तौर पर स्वीकार कर लिया है. उम्मीदवार नोट कर लें कि भारतीय तट रक्षक उम्मीदवार की पात्रता शर्तों का सत्यापन मूल दस्तावेजों के साथ केवल उम्मीदवार के चरण II/चरण III के लिए अर्हता प्राप्त करने के बाद करता है. जब तक कि भारतीय तट रक्षक द्वारा दस्तावेजों के संबंधित बोर्डों/विश्वविद्यालयों से सत्यापन के उपरांत सेवा में औपचारिक पुष्टि नहीं कर ली जाती है उसकी उम्मीदवारी अनंतिम बनी रहेगी. पात्रता अथवा परीक्षा में प्रवेश के लिए अन्य प्रकार से उम्मीदवारी के तौर पर भारतीय तट रक्षक का निर्णय अंतिम होगा.

(ab) परीक्षाओं के संचालन में कुछ समस्याएं होने की संभावना से पूरी तरह से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जो परीक्षा और/अथवा परिणाम तैयार करने के काम को प्रभावित कर सकता है. ऐसी स्थिति में ऐसी समस्या को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों का मूमेंट, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है. पुनः परीक्षा का आयोजन पूर्णरूपेण भारतीय तट रक्षक/परीक्षा आयोजन संस्था के पूर्ण विवेकाधीन होगा. पुनः परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कोई दावा नहीं होगा. मूव करने के अनिच्छुक उम्मीदवार अथवा जो परीक्षा की देरी की प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर नामंज़ूर कर दिया जाएगा.

(ac) कृपया नोट कर लें कि उक्त विज्ञापन पर जारी कोई शुद्धिपत्र, यदि कोई है, केवल वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in** पर प्रकाशित किया जाएगा और किसी भी शुद्धिपत्र के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट को देखते रहना होगा. यदि उम्मीदवार वेबसाइट पर जारी शुद्धिपत्र को देखने में असफल रहता है और तद्नुरूप कार्रवाई नहीं करता है अथवा आवश्यक शुद्धिपत्र की अनुपालना नहीं करता है तो भारतीय तट रक्षक की जवाबदेही नहीं होगी.

(ad) सीजीईपीटी 01/2022 अथवा पूर्व के बैचों के दौरान कदाचार में संलिप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की अनुमति नहीं है.

(ae) उम्मीदवार के विरुद्ध किसी भी अदालत में आवेदन के समय और चरण-IV/प्रशिक्षण अकादमी में ज्वाइनिंग तक परीक्षा/चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान कोई आपराधिक मामला लंबित/अवेक्षित नहीं होना चाहिए.

(af) उम्मीदवारों को वेबसाइट **https://joinindiancoastguard.cdac.in** पर एफएक्यूज की जांच कर लेनी चाहिए और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति के समय तथा परीक्षा के विभिन्न चरणों में इनका पालन करना चाहिए. एफएक्यू सं. 38 अजा/अजजा/अपिव (गैर संपन्न वर्ग)/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को समझने और अनुपालन करने की आवश्यकता है.

(ag) उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर विभिन्न घोषणाओं को देखने के लिए दैनिक आधार पर भारतीय तट रक्षक की वेबसाइट और उम्मीदवार के डैशबोर्ड को देखें. भारतीय तट रक्षक वेबसाइट पर अनुदेशों का पालन करने में असफलता से भर्ती प्रक्रिया की अनुपालना नहीं किया गया माना जाएगा और इससे उम्मीदवारी निरस्त हो सकती है. चरण-I, चरण-II और चरण-III के लिए ई-प्रवेश पत्र की डाउनलोडिंग और विभिन्न चरणों का परिणाम उम्मीदवार की लॉगिन के जरिए भारतीय तट रक्षक की वेबसाइट पर घोषित/प्रकाशित किया जाएगा और उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट को देखने तथा सभी अनुदेशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है. यदि उम्मीदवार प्रत्येक चरण के पूरा होने से लेकर परिणाम के प्रकाशन तक दैनिक आधार पर भारतीय तट रक्षक की वेबसाइट देखने और समय-समय पर इसमें दिए गए अनुदेशों का पालन करने में विफल रहता है तो भारतीय तट रक्षक जिम्मेदार नहीं होगा. उम्मीदवार के साथ सम्प्रेषण की प्राथमिक पद्धति भारतीय तट रक्षक वेबसाइट अथवा ई-मेल के जरिए है.

(ah) उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान प्रविष्ट किए गए अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को अवश्य याद रखना चाहिए क्योंकि उम्मीदवारों के साथ पत्राचार केवल ई-मेल आईडी के जरिए किया जाएगा. आवेदन प्रस्तुति के उपरांत उम्मीदवार केवल एनक्रिप्टिड स्वरूप में ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देखेंगे.

(aj) दस्तावेजों/अतिरिक्त दस्तावेजों की अपलोडिंग चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र की डाउनलोडिंग तक सीमित है. चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र की डाउनलोडिंग के उपरांत उम्मीदवार द्वारा कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं किया जा सकता है. भारतीय तट रक्षक द्वारा घोषित समय के भीतर दस्तावेजों की अपलोडिंग में विफल रहने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है. चरण-II के लिए ई-प्रवेश पत्र की डाउनलोडिंग के उपरांत नया दस्तावेज अपलोड करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

14. यात्रा व्यय. अजा/अजजा उम्मीदवार, जो कि केंद्रीय/राज्य सरकार में सेवारत नहीं हैं, को मूल टिकट प्रस्तुत करने पर परीक्षा (चरण I) के स्थान से, यदि गृह नगर 30 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है, सबसे छोटे मार्ग से केंद्रीय सरकार के विनियमों के अनुरूप ट्रेन से साधारण द्वितीय श्रेणी/सरकारी बस के किराए/स्टीमर प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी. अजा/अजजा उम्मीदवारों को भारतीय तट रक्षक वेबसाइट से यात्रा फार्म डाउनलोड करना होगा और भारतीय तट रक्षक को प्रस्तुत करना होगा.

15. वेतन, अनुलाभ ओर अन्य लाभ.

a. नाविक (सामान्य ड्यूटी). मूल वेतन रु. 21700/- (वेतन लेवल-3) साथ में मंहगाई भत्ता और लागू विनियमों के अनुरूप ड्यूटी की प्रकृति/तैनाती के स्थान पर आधारित अन्य भत्ते.

b. नाविक (घरेलू शाखा). नाविक (डीबी) के लिए मूल वेतनमान रु. 21700/- (वेतन लेवल-3) है, साथ में मंहगाई भत्ता और लागू विनियमों के अनुरूप ड्यूटी की प्रकृति/तैनाती के स्थान पर आधारित अन्य भत्ते.

c. यांत्रिक. मूल वेतन रु. 29200/- (वेतन लेवल-5). इसके अलावा आपको 6200/- रु. यांत्रिक वेतन साथ में मंहगाई भत्ता और लागू विनियमों के अनुरूप ड्यूटी की प्रकृति/तैनाती के स्थान पर आधारित अन्य भत्तों का भुगतान किया जाएगा.

16. पदोन्नति और अनुलाभ.

a. पदोन्नति की संभावनाएं, वेतनमान रु. 47600/- (वेतन लेवल 8) और यांत्रिक वेतन रु. 6200/- की दर से, साथ में मंहगाई भत्ता, प्रधान अधिकारी/प्रधान सहायक के रैंक तक उपलब्ध हैं. अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति सुयोग्यता और कार्यनिष्पादन के विषयाधीन है.

b. अन्य लाभ.

i. मौजूदा नियमों के अनुरूप मुफ्त राशन और वर्दी. आश्रित माता-पिता सहित स्वयं और परिवारजनों के लिए मुफ्त चिकित्सा इलाज की सुविधा है.

ii. नाममात्र की फीस पर स्वयं और परिवार के लिए सरकारी आवास अथवा सरकार से अनुमोदित म.कि.भ.

iii. हर साल **45 दिनों** का अर्जित अवकाश और 08 दिनों का आकस्मिक अवकाश साथ में स्वयं, परिवार और आश्रित माता-पिता के लिए सरकारी नियमों के अनुरूप अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी).

iv. सेवानिवृत्ति पर अंशदायी पेंशन योजना और ग्रेच्युटि.

v. कैंटीन और विभिन्न ऋण सुविधाएं.

vi. सेवानिवृत्ति के उपरांत ईसीएचएस चिकित्सा सुविधाएं.

c. बीमा कवर. नामांकित कार्मिक के लिए 50 लाख रु. का बीमा कवर (अंशदान पर) लागू है.

टिप्पणी:- वेतन, लाभ, पदोन्नति, बीमा कवर और अन्य लाभ सरकारी आदेशों के अनुरूप परिवर्तन के विषयाधीन हैं.

***उम्मीदवारों को विज्ञापन के हिंदी रूपांतर और पूर्ण अद्यतनों के लिए भारतीय तट रक्षक भर्ती वेबसाइट https://joinindiancoastguard.cdac.in को देखना होगा. यह केवल सांकेतिक विज्ञापन है.**

चेतावनी: भारतीय तट रक्षक में चयन निष्पक्ष और मैरिट के आधार पर होता है. उम्मीदवारों को भर्ती एजेंट के तौर पर अपने को प्रस्तुत करने वाले धोखेबाज़ व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए. ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत के लिए उम्मीदवार को निदेशक (भर्ती), तट रक्षक मुख्यालय, भर्ती केंद्र, नोएडा को टेलीफोन नं.-0120-2975817 पर शिकायत करनी चाहिए.

डिस्क्लेमर

इस विज्ञापन में दी गई निबंधन एवं शर्तें केवल दिशा-निर्देश मात्र हैं और भर्ती प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर यथा संशोधित सरकार द्वारा जारी आदेश लागू होंगे.

ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि- 14 जनवरी, 2022 (1700 बजे) है.

आवेदन करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

डीएवीपी 10119/11/0006/2122 रो.स. 39/75